बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../ पटना, दिनांक........................

सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14

प्रेषक,

साकेत कुमार,
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– वित्तिय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना के लिए ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) मात्र की सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प सं0 4773 दिनांक 28.10.13 के आलोक में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तिय वर्ष 2016–17 में मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना के लिए ₹15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़) मात्र की सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) "सामान्य सुविधा केन्द्र" की स्थापना पर सरकार तथा SPV तथा अंशदान क्रमश 90% (अधिकतम सीमा ₹10.00 (दस) करोड़) एवं 10% होगा। विशेष परिस्थिति में यदि कलस्टर के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हों तो राज्य सरकार के अनुमोदन से "सामान्य सुविधा केन्द्र" के स्थापना हेतु 100% तक अनुदान दिया जा सकेगा।

(3) उक्त योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प सं0–4773, दिनांक–28.10.13 द्वारा निर्गत मुख्यमंत्री सुक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के अन्तर्गत ''सामान्य सुविधा केन्द्र'' की स्थापना हेतु दिये गये दिशा निदेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायगी।

(4) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–104 हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0101–हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलीत होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

(5) उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

(6) उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार/संस्था को निर्गत स्वीकृति आदेश के आलोक में राशि की निकासी सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृति आदेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध करायी जायगी।

(7) योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

(8) राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

(9) इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे ।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(10) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14* के **पृष्ट–33/टि0** पर दिनांक **24.06.2016** को प्राप्त है। जिसका **डायरी संख्या–गै0स0प्रे0सं0–213,** दिनांक 21.06.2016 है।

(11) प्रस्ताव में वित्त मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14* के **पृष्ट–40/टि0** पर दिनांक **14.07.2016** को प्राप्त है। जिसका **डायरी संख्या–गै0स0प्रे0सं0–626,** दिनांक 14.07.2016 है।

(12) राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति संचिका संख्या– *सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14* के **पृष्ट–43/टि0** पर दिनांक–**28.07.2016** को प्राप्त से निर्गत किया गया है, जिसका डायरी संख्या **190/OSD** दिनांक **27.07.2016** है।

(13) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14
पटना,दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14
पटना,दिनांक.........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3176/
सं०सं०–03/उ०नि०/योजना–15/14
पटना,दिनांक 02.09.16

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3 एवं 2 (उ0नि0), को तीन प्रतियों में/प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/9/16
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
2.9.16